राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 15 APR 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में।**

प्रसंगः **इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र कमांक एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/सहायक कार्यकम अधि./2010/पार्ट–1 दिनांक 31.01.2013, समसंख्यक पत्र दि. 15.02.13, 04.03.13, 13.03.13, 28.03.13 एवं 05.04.13**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फरेन्स के दौरान अवगत कराया है कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर की जा रही भर्ती की अन्तिम तिथि दिनांक 22.03.2013 से 18.04.2013 कर दी गई है। कई संविदा कार्मिक, जिनको अनुभव प्रमाण–पत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है, वे इस बढ़ी हुई अवधि का भी अनुभव प्रमाण–पत्र चाहते हैं ताकि उनको इस अवधि को जोड़ने पर पूरे वर्ष के अनुभव का लाभ मिल सके।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिन कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है, यदि वे पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण–पत्र के बाद की अवधि का भी अनुभव प्रमाण–पत्र चाहते हैं तो उन्हें पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण–पत्र की तिथि से आगे उनके द्वारा किये गये कार्य की अवधि का भी अनुभव प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इसी अनुसार दोनो अनुभव प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन में अपलोड कराने की व्यवस्था भी करावें।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6 परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9 रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस